

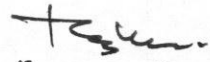
राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एस-515) अलेसे-1/1347

दिनांक:- 14/12/2020

कार्यालय आदेश

श्री शंकर दास सिंधी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1(लिनक नं0 5549), कार्यालय-प्राचार्य, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर (अजमेर) ने स्वयं के नाम परिवर्तन की राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम-8 के निर्णय संख्या 5 की पालना पूर्ण कर ली है। अतः श्री शंकर दास सिंधी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1(लिनक नं0 5549), कार्यालय-प्राचार्य, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर (अजमेर) का नाम परिवर्तन कर, "शंकर दास सिन्धी" के स्थान पर "शंकर दास जुरानी" करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।


(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एस-515) अलेसे-1/1347

दिनांक:- 14/12/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, ब्यावर (अजमेर)।
2. प्राचार्य, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर (अजमेर)।
3. श्री शंकर दास जुरानी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय-प्राचार्य, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर (अजमेर)।
4. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/निजी पत्रावली/गार्ड फाइल।


(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)